विभाजन वाद संख्या 43 / 2011
सीआईएस 1327 / 2018
दिनांक 23.12.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 23.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला आवेदक 1. विश्वकांत मिश्र 2. अखिलेश मिश्र 3. सुजित कुमार मिश्र 4. अमरेश कुमार मिश्र 5. मदन मोहन मिश्र 6. विनोद कुमार मिश्र की तरफ से दिनांक 10.12.2019 को नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व दफा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

आवेदकगण ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक का कहना है कि रामअनूप चौबे व उनकी पत्नी का सेवा टहल सुजीत कुमार मिश्र की पिता व दादा करते थे जिससे खुश होकर रामअनूप चौबे ने कारूणिक मिश्र व शंकर मिश्र को बक्सिसनामा दिनांक 03.02.1975 को मवाजी 02. 06.0 कर दिया व दखल कब्जा दे दिया । यह कि वादी और प्रतिवादी आपस में मेली है और मनसयलान के जमीन की जानकारी रखते हुए भी इन्हें पक्षकार नहीं बनाया । यह कि कारूणिक मिश्र व शंकर मिश्र सगे भाई हैं कारूणिक मिश्र अपने तीन लड़के विश्वकांत मिश्र व मनसायल अखिलेश मिश्र तथा सुंदर मिश्र बड़े हैं । सुंदर मिश्र वफात कर गये उनके तीन लड़के अमरेश मिश्र, मदन मोहन मिश्र, विनोद मिश्र मनसयलान है यह कि गांव में अफवाह के द्वारा बंटवारा वाद की जानकारी हुई। यह कि आवेदक को पक्षकार बनाना आवश्यक है अतः निवेदन है कि मनसयलान को पक्षकार बनाने की इजाजत दिया जाए।

प्रतिवादी सं 1 की ओर से प्रतिउत्तर दिया गया और कहा गया कि प्रतिवादी बनने हेतु हस्तकक्षेपक जिस आवेदन को दाखिल किया है वह चलने योग्य नहीं है । यह कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी आरोप गलत है । यह कि वंशावली गलत है और रामअनूप चौबे ने कोई बक्सिसनामा साइन नहीं किए हैं । यह कि आवेदक आवेदन पत्र को खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, मामले में आवेदकों के आवेदन का अवलोकन किया। समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेख का अनुशीलन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन पत्र को देखने के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि आवेदन पत्र नियम 10 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लाया गया है आवेदन पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस आदेश के नियम 10 की बात कर रहा है अतः आवेदको का आवेदन अस्पष्ट होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।